संख्या-3/2026-ए-2-15/दस-2026/1960262/10-2025

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव. उत्तर प्रदेश शासत।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त /जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त प्रवन्ध निदेशक/ निदेशक, राजकीय निर्माण एजेन्सी।
5. निदेशक,
   आईआईटी, कानपुर / आईआईटी बीएचयू / आईआईटी दिल्ली/ आईआईटी, रूडकी।
6. कुलपति,
   एकेटीयू, लखनऊ / एचबीटीयू, कानपुर / एएमयू, अलीगढ़ / एमएमएमयूटी, गोरखपुर।
7. निदेशक/प्रधानाचार्य,
   एमएनएनआईटी, प्रयागराज/ केएनआईटी, सुल्तानपुर / बीआईइटी. झांसी / राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बांदा / सोनभद्र / कन्नौज/ प्रतापगढ़ / अम्बेडकर नगर/आजमगढ़ / मैनपुरी/ बिजनौर।

वित्त (लेखा) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 13 फरवरी, 2026

विषयः विभिन्न भवन निर्माण कार्यों की गुणवता सुनिश्चित किये जाने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट (TPQA) हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

संदर्भ वित्त (लेखा) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन का शासनादेश संख्या-ए-2-1960262/दस-2025, दिनांक 26-12-20-2025 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्मित शासनादेश दि० 26.12.2025 के साथ संलग्न एम०ओ०यू० में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

Errata to the MoU annexed with GO no. A-2-1960262/10-2025 dated 26.12.2025 for TPQA

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

shasanadesh.up.gov.in

Existing Clause No. 5 of MoU	Amended Clause No. 5 of MoU
Payments to the Institute: The Department shall provide honorarium/professional fees as mutually agreed upon based on the scope, size, and complexity of the project (Annexure attached) with maximum allowable Fees as: **A**. For the building projects costing less than Rs 50.00 Cr-0.5% of the Cost of project **B**. For the building projects costing greater than Rs 50.00 Cr.-0.5% of Rs 50.00 Cr and 0.3% of (Cost of project in Cr-50.00 Cr.)	**Payments to the Institute**: The Department shall provide honorarium/professional fees as mutually agreed upon based on the scope, size, and complexity of the project (Annexure attached) with maximum allowable Fees (without GST) as: **A.** For the building projects casting upto Rs 50.00 Cr-0.5% of the Cost of project **B**. For the building projects costing Rs 50.00 Cr to 300.00 Cr.-0.5% of Rs 50.00 Cr and 0.3% of (Cost of project above to 50.00 Cr.) **C.** For the building projects costing Rs 300.00 Cr. to 500.00 Cr.-0.5% of Rs 50.00 Cr and 0.3% of 250.00 Cr.+0.2% of (Cost of project above to 300 Cr.) **D**. For the building projects costing above Rs 500.00 Cr.-0.5% of Rs 50.00 Cr and 0.3% of 250.00 Cr+0.2% of 200.00 Cr+ 0.1% of (Cost of project above to 500 Cr.) Rest of the points of Clause 5 remain same.

शेष सभी शर्तें यथावत रहेगी

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

shasanadesh.up.gov.in

संख्या-3/2026 /ए-2-15- (1)/दस-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य स्टाफ ऑफिसर /स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, कोषागार, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियंता, तकनीकी सेल. ई०पी०सी० मिशन, नियोजन विभाग, उ०प्र०।
5. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
महेन्द्र कुमार भट्ट
विशेष सचिव।

shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।